

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 05.09.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना परसपुर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.09.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 11 अभियुक्त गिरफ्तार, 150 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे 40 लीटर अवैध कच्ची शराब, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मनकापुर पुलिस ने 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मोतीगंज पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना नवाबगंज पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना वजीरगंज पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.09.2022

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त 01. दिनेश कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी के भाई को पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर गाली-गुप्ता देते हुए मार पीटकर आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी के भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दिनेश कुमार तिवारी पुत्र राम अचल तिवारी निवासी ग्राम मंगरावा थाना मोतीगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. 150/2022 धारा 306/504/506 भा0द0वि0 थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

नि0 अखिलेश यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 05.09.2022

लडकी को शादी के लिए बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व धर्मपरिवर्तन कराने के 02 वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा लडकी को शादी के लिए बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व धर्मपरिवर्तन कराने के 02 वांछित अभियुक्तों- 01. साकिर खान, 02. जाकिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त अभियुक्तों ने थाना खरगूपुर थाना क्षेत्र की रहने वाले एक लडकी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर कर भगा ले गए थे तथा धर्मपरिवर्तन कराने का दबाव बना रहे थे। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. साकिर खान उर्फ सिब्लू पुत्र जाकिर खान नि० ग्राम सेवरहा थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।
02. जाकिर खान पुत्र फकीरे नि० ग्राम सेवरहा थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 225/2022 धारा 366,323,504,506,452 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट व 3/5(1) धर्म संपरिवर्तन अधि० थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० भोलाशंकर मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 05.09.2022

लडकी को बिक्री करने के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त
गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत ह्यूमन ट्रेफिकिंग के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों एवं प्रभारी एएचटीयू को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने लड़की को बिक्री करने के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त-रेहान उर्फ सहबान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त जनपद लखनऊ की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा लाया था और जनपद गोंडा में रह रहा था। और लड़की को कहीं बेचने की फिराक में था। जिसके संबंध में पीड़िता की बहन द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रेहान उर्फ सहबान पुत्र लल्लू मास्टर नि० महारानीगंज घोसियाना थाना को० नगर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-583/22, धारा 363,370 भादवि व 16/17 पॉक्सो एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

नि० अनंत कुमार सिंह मय टीम।